MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR

(A Govt. Aided UGC Autonomous Institute Affiliated to RGPV, Bhopal)

क्रमाँकः मु.ऑ./2018/111 दिनाँक :06/11/2018

सूचना

सत्र 2018–19 में नियमित अध्यनरत समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राऐं जो आवास सहायता राशि हेतु योग्यता रखते हों अपने आवेदन ऑनलाईन **www.scholarshipportal.mp.nic.in** पर भरकर निम्नलिखित दस्तावेजों को क्रमानुसार संलग्न कर दो प्रतियों में मुख्य ऑफिस में अपरान्ह 02:00 बजे से साँय 05:00 बजे तक जमा करना सुनिशिचत करें।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा संचालित आवास सहायता पोर्टल में आवेदन करने की नवीनीकरण छात्रों हेतु अंतिम तिथि 15.11.2018 निर्धारित की गयी है अतः **समस्त नवीनीकरण** पात्र छात्र/छात्राऐं नियत समयावधि में पोर्टल पर आवेदन करना सुनिश्चित करें।

निर्धारित तिथि तक आवेदन न करनें वाले छात्र/छात्राऐं यदि आवास सहायता राशि प्राप्त करने से वंचित रहते है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी छात्रों की होगी।

1. पासपोर्ट साईज फोटो।
2. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
3. आय प्रमाण पत्र (अगर पिता–माता शासकीय सेवा में हों तो संस्था प्रमुख द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र जिस पर जावक क्रमाँक एवं दिनाँक अंकित हो एवं माह मार्च 2017 में जारी किया गया हो।) अथवा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
4. मूल निवासी प्रमाण पत्र ।
5. पिछली समस्त अंकसूचियाँ।
6. प्रवेश स्लिप (प्रथम वर्ष के छात्र) अथवा रजिस्ट्रेशन की रसीद (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ष के छात्र)।
7. स्थानांतरण प्रमाण पत्र, **गैप प्रमाण पत्र** (प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए)
8. वर्तमान सत्र की शिक्षण शुल्क की रसीद।
9. आधार आधारित बैंक पास बुक।
10. स्वयं का आधार कार्ड।
11. पिता–माता का शपथ–पत्र की छायाप्रति।
12. जो मकान किराया से लिया है उस मकान मालिक द्वारा छात्र के रहने समधी शपत-पत्र (किराया नामा)
13. छात्र द्वारा शपत पत्र की ग्वालियर नगर निगम सिमा में मेरा एव सम्बधित का कोई मकान नहीं है
14. पुलिस वैरिफिकेषन रिपोर्ट।
15. जो मकान किराए से लिया है उस भवन की हाऊस टैक्स की रसीद की छायाप्रति।
16. मकान मालिक को भुगतान किए गए किराए की रसीद की छायाप्रति।
17. मकान मालिक द्वारा क्षेत्र के थाने में दी गई किराएदार की सूचना की छायाप्रति।
18. समग्र आइ डी की छायाप्रति।

नोट :

- उक्त समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें तथा एक प्रति स्वयं के पास सुरक्षित रखें।
- आवेदन पत्र में केवल सही जानकारी ही भरें।
- बैंक खाते की जगह अपने बैंक खाते की ही जानकारी भरें।
- सभी दस्तावेजों को स्वयं अभिप्रमाणित करें।
- **ऐसे सभी छात्र/छात्राए जो छात्रावास में निवास करते हों तो वह आवास सहायता योजना के पात्र नहीं होंगे।**

6.11.18

(डॉ. आर. के. पण्डित)
निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधीश, जिला ग्वालियर।
2. सहा. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, शारदा विहार, ग्वलियर।
3. नोडल अधिकारी (अनुसूचित जाति/जनजाति) – प्राचार्य, डॉ. भीमराव अंबेडकर पॉलेटेक्निक विद्यालय, ग्वालियर।
4. समस्त सूचना पटल।
5. रजिस्ट्रार कार्यालय।
6. निदशक कार्यालय।
7. वैब मैनेजर -- पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।